

रजिस्टर्ड नं. ए. डी. - 4



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 1 मई, 1976

वंशाब्द 11, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1795/17-वि0-1--43-76

लखनऊ, 1 मई, 1976

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 30 अप्रैल, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1976]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

संयुक्त प्रांत मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में मोटर वैहिकल ऐक्ट, 1939 का भी अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम

अध्याय 2

संयुक्त प्रांत मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1975 के एक भाग का निरसन और पुनः अधिनियमन

धारा 2 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 का अध्याय-5 और धारा 39 का उतना भाग जो उक्त धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित मद (2) और उपधारा (2) में उल्लिखित मद (2) के सम्बन्ध में है, एतद्द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1975 से निरसित और पुनः अधिनियमित किया जाता है और संयुक्त प्रांत मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, उक्त अध्याय द्वारा किये गये संशोधन (जिसे उक्त धारा 39 के कारण दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 से प्रवृत्त समझा जाएगा) धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में समाविष्ट अग्रतर संशोधनों के अधीन होंगे।

3—मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी, अर्थात्:—

“2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) ‘अपील प्राधिकारी’ का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;

(ख) ‘कराधान अधिकारी’ का तात्पर्य कराधान अधिकारी पर इस अधिनियम द्वारा आरोपित या प्रदत्त कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है;

(ग) ‘नियत’ का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम या अधिसूचना द्वारा नियत से है;

(घ) ‘भाग’ का तात्पर्य सड़क या सड़कों या सड़क या सड़कों के किसी ऐसे भाग या भागों से है जिस पर या जिन पर मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन जारी किये गये परमिट के अधीन किसी परिवहन गाड़ी की चलने के लिए प्राधिकृत किया जाय;

(ङ) ‘कर’ का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर से है;

(च) अन्य शब्दों तथा पदान्वितियों के वही अर्थ हों जो क्रमशः उन्हें मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 में दिये गये हैं।”

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन कोई नियम या अधिसूचना जिसके द्वारा कोई विमुक्ति नियत की जाय या किसी विमुक्ति की शर्त नियत की जाय, पूर्ववर्ती किसी ऐसे दिनांक से, जो चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पहले का न हो, बनाया जा सकता है या जारी की जा सकती है, परन्तु कोई विमुक्ति पूर्ववर्ती दिनांक से वापस नहीं ली जायगी।”

धारा 4 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 4 में, अंक “1974” के स्थान पर अंक “1975” रखे जायेंगे और सदेव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 5 में, अंक “1974” के स्थान पर अंक “1975” रखे जायेंगे और सदेव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 7 में—

(i) शब्द “तीन महीने” के स्थान पर शब्द “एक मास” रखे जायेंगे;

(ii) उसके अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक शब्द बढ़ाया जायगा, अर्थात्:—

“प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई वापसी तब तक स्वीकृत नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस अवधि में, जिसके लिए वापसी का दावा किया जाय, कराधान अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, गाड़ी के सम्बन्ध में जारी किया गया टॉर्किन और परमिट, यदि कोई हो, जमान कर दिया हो।”

धारा 13 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द “पचास रुपये” और “एक सौ रुपये” के स्थान पर क्रमशः शब्द “तीन सौ रुपये” और “पांच सौ रुपये” रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी, अर्थात्:—

“15—(1) धारा 7 के अधीन दिये गये कराधान अधिकारी के आदेश से व्यक्त कोई व्यक्ति उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

संयुक्त अधिनियम संख्या 1975

ऐक्ट 1939

ऐक्ट 1939

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में दिशा गया प्रत्येक आदेश अन्तिम और निश्चयक होगा।"

10--मूल अधिनियम की धारा 20 में--

धारा 20 का संशोधन

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात्:--

"(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।";

(ii) उपधारा (2) में, खण्ड (ङ) में, शब्द "निर्धारण" निकाल दिया जायगा।

11--मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, भाग-ख में, अनुच्छेद 4 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात्:--

प्रथम अनुसूची का संशोधन

"स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, खड़े होने के स्वीकृत स्थान के (यदि कोई हो) पचास प्रतिशत स्थान की गणना बैठने के अतिरिक्त स्थान के रूप में की जायगी।"

12--मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रत्येक अपील, जो उस अधिनियम के अधीन कर की वसूली से सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध अपील अभिप्रेत हो, और जो 3 अक्टूबर, 1975 के ठीक पहले विचाराधीन हो, उक्त दिनांक से उपशमित समझी जायगी।

संक्रमणकालीन उपबंध

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का संशोधन

13--उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात्:--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1962 की धारा 7 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि कर एसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जो नियत की जाय, दिया या जमा किया जा सकता है।"

14--मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात्:--

धारा 8 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि कर एसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जो नियत की जाय, दिया या जमा किया जा सकता है।"

15--मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रखा जायगा, अर्थात्:--

धारा 13 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कोई अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि कर के रूप में देय अवधारित या निर्धारित वनराशि का पचास प्रतिशत जमा न कर दिया गया हो।"

16--(1) मूल अधिनियम की धारा 15 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ बढ़ाई जायेंगी, अर्थात्:--

धारा 15 का संशोधन

"(2) कोई यात्री गाड़ी राज्य में किसी सार्वजनिक स्थान में चलाई नहीं जायगी, यदि उसके सम्बन्ध में कोई कर या दण्ड, जब वह इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अधीन देय हो जाय, उसके पश्चात् पन्द्रह दिन से अधिक तक न दिया जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई अपील कर के निर्धारण या दण्ड के आरोपण के विरुद्ध विचाराधीन हो, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी कारण अभिलिखित करके, यात्री गाड़ी को इस उपधारा के प्रवर्तन से ऐसी अवधि के लिए, जैसी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, छूट दे सकता है।

(3) परिवहन विभाग का कोई अधिकारी, जो कर अधिकारी के स्तर के नीचे कान हो, किसी यात्री गाड़ी को, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए चलाई जाय, तब तक अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है, जब तक कि धारा 14 के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र या इस धारा में निर्दिष्ट रसीद प्राप्त न कर ली जाय वा, यथास्थिति, ऐसे कर या दण्ड या दोनों की सम्पूर्ण वनराशि का भुगतान यथावधि न कर दिया जाय।"

अध्याय 4

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 15,
1964 की धारा 2
का संशोधन

17—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ट) में, पदावली "मोटर गाड़ी" और "ट्रेलर" के बीच पदावली "मार्ग" बढ़ा दिया जायगा।

धारा 3 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 3 में, स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायगा और सर्वे से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—1—जहां माल सार्वजनिक माल वाहन द्वारा—

- (क) राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को, या
- (ख) राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को, या
- (ग) राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर के किसी स्थान को,

लाया जाय, वहां राज्य के भीतर माल दोनों के लिए देय माड़ा वह धनराशि समझी जायगी जिसका अनुपात देय कुल भाड़े से वही है जो राज्य के भीतर की दूरी का कुल ऐसी दूरी से है, जितनी दूरी तक ऐसे वाहन से माल ले जाते हैं।"

धारा 18 का
संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (2) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रखा जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खण्ड (ख) के अधीन कोई अपील तब तक प्रेषण नहीं की जायगी, जब तक कि कर के रूप में देय प्रवधारित धनराशि का पचास प्रतिशत जमा न कर दिया गया हो।"

विधि मान्यता

20—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्ली या आदेश के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 8 के अधीन या आधार पर, किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से होकर चलने वाले सार्वजनिक माल वाहनों में ले जाने वाले माल पर कर का लगाया जाना भी है) या किया गया अभिप्रेत होने वाला कोई कार्य या की गई अभिप्रेत होने वाली कोई कार्यवाही वैसे ही विधि मान्य और प्रभावशाली समझी जायगी, मानो इस अधिनियम की धारा 18 द्वारा उसमें किया गया संशोधन सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त रहा हो और तदनुसार—

(क) मूल अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट किसी धनराशि की वापसी के लिए कोई धाव या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष ग्राह्य या जारी नहीं होगी;

(ख) कोई न्यायालय ऐसी किसी धनराशि की वापसी के लिए किसी डिक्ली या आदेश का निष्पादन नहीं करेगा; और

(ग) कोई कर, जिसकी वसूली 3 अक्टूबर, 1975 के पूर्व किसी न्यायालय द्वारा रोकी गयी या अवरुद्ध की गयी थी, इस अधिनियम की धारा 18 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार वसूली के योग्य होगी।

अध्याय 5

मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 का संशोधन

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
25, 1972 द्वारा
ऐक्ट संख्या 4,
1939 में बढ़ाई
गई धारा 43-ए
का संशोधन

21—मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 की (जिसे आगे इस अध्याय में 'मूल अधिनियम' कहा गया है) धारा 43-ए में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी और सर्वे से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निदेश निम्नलिखित किसी विषय के सम्बन्ध में दिये जा सकते हैं, अर्थात्:—

(क) यात्री गाड़ी या टेका गाड़ी के अनुशा-पत्रों की संख्या, जो किसी मार्ग या क्षेत्र के सम्बन्ध में दिये जा सकते हैं;

(ख) विशेष रूप से सुपात्र श्रेणियों के व्यक्तियों, यथा भूतपूर्व सैनिकों, शिक्षित बेरोजगारों, गाड़ी चलाने का लाइसेंस रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जो यात्री परिवहन कारबार के लिये बनाई गयी सहकारी समितियों के सदस्य हों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को, अधिमान या अधिमान क्रम जो दिया जायगा या कोटा जो निश्चित किया जायगा;

(ग) अनुज्ञा-पत्र देने की और आवेदकों में से चयन करने की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत एक ही श्रेणी के व्यक्तियों में से पर्ची डालकर चयन करना भी है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश पूर्वगामी प्रभाव से जारी किया जा सकता है ।

(4) जहां किसी परिवहन प्राधिकरण को उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया जाय, वहां राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन किसी अपील या पुनरीक्षण का भी विनिश्चय इस प्रकार किया जायगा कि ऐसे निदेश को प्रभावी किया जा सके ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश पूर्वगामी प्रभाव से जारी किया जाय, वहां—

(क) कोई परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण किसी ऐसे आदेश को, जिसे उसने पहले दिया हो, ऐसे निदेश के अनुरूप बनाने की दृष्टि से पुनर्विलोकित कर सकता है, और इस प्रयोजन के लिये पहले से दे दिये गये किसी अनुज्ञा-पत्र को रद्द कर सकता है ;

(ख) कोई परिवहन प्राधिकरण उच्च न्यायालय को आवेदन उस न्यायालय के द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये कर सकता है, जिससे कि ऐसा प्राधिकरण ऐसे निदेश का पालन कर सके ।

(6) धारा 47, 50 और 57 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।”

22—मूल अधिनियम की धारा 123 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“(1) जो कोई धारा 22 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, या धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा-पत्र के बिना, या जिस मार्ग पर या जिस क्षेत्र में या जिस प्रयोजन के लिए गाड़ी का प्रयोग किया जा सकता है, या यात्रियों को जो अधिकतम संख्या और सामान को जो अधिकतम तौल गाड़ी से ले जा सकते हैं, उससे सम्बन्धित ऐसे अनुज्ञा-पत्र को किसी यत्न का उल्लंघन करते हुये मोटर गाड़ी चलाता है या मोटर गाड़ी का प्रयोग करता है या करने देता है, उसको प्रथम अपराध के लिये जुर्माना का, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और उपधारा (1-क) में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, किसी द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये कारावास का, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना का, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों का दण्ड दिया जायगा :

परन्तु कोई न्यायालय, उन कारणों के सिवाय, जो अभिलिखित किये जायेंगे, द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये से कम का जुर्माना नहीं करेगा ।” ;

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्:—

“(1-क) जो कोई धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा-पत्र के बिना या जिस मार्ग पर या जिस क्षेत्र में या जिस प्रयोजन के लिये गाड़ी का प्रयोग किया जा सकता है, उससे सम्बन्धित ऐसे अनुज्ञा-पत्र को किसी यत्न का उल्लंघन करते हुये मोटर गाड़ी, जो (मोटर कैब से भिन्न) ठेका गाड़ी या यात्री गाड़ी है, चलाता है या प्रयोग में लाता है, या चलवाता है या चलाने देता है या प्रयोग करता है या करने देता है, उसको किसी द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये कारावास का, जो दो मास से कम या छः मास से अधिक नहीं होगा, दण्ड दिया जायेगा और उसका दायित्व जुर्माना के लिये भी होगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है :

परन्तु किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए न्यायालय कारण सहित, जिसे अभिलिखित किया जायगा, कम अवधि के लिए कारावास का या कारावास के बदले जुर्माना का, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डादेश दे सकेगा ।” ;

ऐक्ट 4, 1939
की धारा 123
का संशोधन

(3) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रक्खी जायगी, अर्थात्:--

“(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है, वहां वह न्यायालय, जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया जाता है, किसी दण्डादेश के अतिरिक्त, जो उपधारा (1) या उपधारा (1-क) के अधीन दिया जाता है, आदेश द्वारा--

(क) यदि अपराध करने में प्रयुक्त गाड़ी मोटरकार है, तो उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को चार मास से अनधिक कालावधि के लिये निलम्बित कर सकता है;

(ख) यदि अपराध करने में प्रयुक्त गाड़ी परिवहन गाड़ी है तो उसके अनुज्ञा-पत्र को छः मास से अधिक कालावधि के लिये निलम्बित कर सकता या उसे निरस्त कर सकता है।”;

(4) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराओं बढ़ायी जायेंगी, अर्थात्:--

“(3-क) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1-क) के अधीन किसी द्वितीय या अनुवृत्ती अपराध के लिये दोषसिद्ध हो, वहां वह न्यायालय, जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध हो, उपधारा (1-क) के अधीन जो दण्डादेश पारित किया जा सकता है, या उपधारा (3) के अधीन जो आदेश दिया जा सकता है, उसके अतिरिक्त, अपराध करने में प्रयुक्त गाड़ी का अधिहरण करने का आदेश दे सकेगा।

(3-ख) धारा 129-क में किसी बात के होते हुये भी, उपधारा (1-क) के अधीन अपराध करने में प्रयुक्त गाड़ी अभिगृहीत कर ली जायगी और अभिरक्षा में तब तक निषेध की जायगी, जब तक विचारण न्यायालय मामले का निस्तारण अन्तिम रूप में न कर दे :

परन्तु जहां गाड़ी अभिगृहीत किये जाने की तारीख से दो मास के भीतर ऐसे न्यायालय द्वारा मामला निस्तारित न किया जाय, वहां अभियुक्त गाड़ी को अभिरक्षा से मुक्त करने के लिए आदेश दे सकता है, और न्यायालय गाड़ी को न्यायालय के समक्ष (जिसमें अपील न्यायालय भी सम्मिलित है) प्रस्तुत करने के बारे में उन शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, गाड़ी मुक्त करने का आदेश देगा।

(3-ग) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी, और कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के लिये, जो उपधारा (3-ख) के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की जाय या करना आशयित हो, ग्राह्य नहीं होगी।”

(5) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रक्खी जायगी, अर्थात्:--

“(4) जिस न्यायालय में उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराध के सम्बन्ध में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील होती है वह न्यायालय निलम्बन या निरस्त-करण के आदेश को, जो उपधारा (3) के अधीन, या अधिहरण के किसी आदेश को, जो उपधारा (3-क) के अधीन निम्नतर न्यायालय द्वारा दिया गया हो, अपास्त या परिवर्तित कर सकता है और वह न्यायालय, जिसमें निम्नतर न्यायालय के आदेश से अपील सामान्य तौर पर होती है, निलम्बन, निरस्तकरण या अधिहरण के किसी आदेश को, जो निम्नतर न्यायालय द्वारा दिया गया हो, अपास्त या परिवर्तित कर सकता है, भले ही उस दोषसिद्धि के विरुद्ध, जिसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दिया गया था, कोई अपील ग्राह्य न हो।”

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निरसन और प्रकाश

23--(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, अध्याय 2, 3, 4, और 5 में मूल अधिनियमों के रूप में निर्दिष्ट उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अधिनियमितियों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तदनु रूप उपबन्धों के अधीन क्रमशः किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही सत्सही जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

No. 1735/XVII-V-1—43-76

Dated Lucknow May 1, 1976

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi Karadhan Aur Anya Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyan, Sankhya 15 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 30, 1976.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION AND OTHER LAWS (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act No. 15 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

furth^r to amend the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935, the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri Kar) Adhiniyam, 1962 and the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal Kar) Adhiniyam, 1964 and also further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, in its application to Uttar Pradesh.

It is HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 1976.

Short title.

CHAPTER II

AMENDMENT OF THE UNITED PROVINCES MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1935

2. Chapter V as well as so much of section 39 as pertains to item (2) mentioned in sub-section (1) and item (2) mentioned in sub-section (2) of the said section of the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975 are hereby, with effect from March 24, 1975 *repealed* and *re-enacted* and the amendments made by the said Chapter (which by virtue of the said section 39 are to be deemed to have come into force with effect from September 30, 1974) in the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, shall be subject to the further amendments contained in sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11.

Repeal and re-enactment of a part of U. P. Act 8 of 1975.

3. For section 2 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution of section 2.

"2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) 'Appellate Authority' means the Transport Commissioner, Uttar Pradesh or any other officer appointed by the State Government as 'Appellate Authority';

(b) 'Taxation Officer' means an officer appointed by the State Government to perform the duties and exercise the powers imposed or conferred upon a Taxation Officer by this Act;

(c) 'prescribed' means prescribed by rules made under this Act or by notification;

(d) 'route' means a road or roads or part or parts of a road or roads over which a transport vehicle may be authorised to travel under a permit issued under the Motor Vehicles Act, 1939;

(e) 'tax' means a tax imposed under this Act;

(f) other words and expressions have the meanings respectively assigned to them in the Motor Vehicles Act, 1939 ;".

- Amendment of section 3. 4. In section 3 of the principal Act, the following Explanation thereto shall be *inserted*, namely—
- “Explanation—Any rule or notification prescribing an exemption or prescribing a condition of exemption under this section may be made retrospectively to a date not earlier than the commencement of the current financial year, provided that an exemption shall not be withdrawn retrospectively.”*
- Amendment of section 4. 5. In section 4 of the principal Act, for the figures “1974”, the figures “1975” shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*.
- Amendment of section 5. 6. In section 5 of the principal Act, for the figures “1974”, the figures “1975” shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*.
- Amendment of section 7. 7. In section 7 of the principal Act—
- (i) for the words “three months”, the words “one month” shall be *substituted*;
- (ii) the following proviso thereto, shall be *inserted* at the end, namely—
- “Provided that no such refund shall be admissible unless such person had deposited the registration certificate, the token issued in respect of the vehicle and the permit, if any, with the Taxation Officer during the period for which such refund is claimed.”*
- Amendment of section 13. 8. In section 13 of the principal Act, for the words “fifty rupees” and “one hundred rupees”, the words “three hundred rupees” and “five hundred rupees” shall respectively be *substituted*.
- Substitution of section 15. 9. For section 15 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely—
- “15. (1) Any person aggrieved by an order of the Taxation Officer made under section 7 may within thirty days from the date of such order prefer an appeal to the Appellate Authority.
- (2) Every order made by the Appellate Authority under sub-section (1) shall be final and conclusive.”
- Amendment of section 20. 10. In section 20 of the principal Act—
- (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely—
- “(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.”;*
- (ii) in sub-section (2), in clause (e), the word “assessment” shall be *omitted*.
- Amendment of the first Schedule. 11. In the first Schedule to the principal Act, in Part B, after Article V the following Explanation shall be *inserted*, namely—
- “Explanation—For the purposes of this article, fifty per cent of the sanctioned standing capacity, if any, shall be reckoned as additional seating capacity.”*
- Transitory provisions. 12. Every appeal under section 15 of the principal Act purporting to be an appeal against an order relating to recovery of tax under that Act, pending immediately before the third day of October, 1975 shall be deemed to have abated on the said date.

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MOTOR GADI (YATRI KAR) ADHINIYAM, 1962

- Amendment of section 7 of U. P. Act 8 of 1962. 13. In section 7 of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri Kar) Adhiniyam, 1962, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following proviso thereto shall be *inserted*, namely—
- “Provided that the payment or deposit of the tax may be made in such other manner, if any, as may be prescribed.”*

14. In section 8 of the principal Act, in sub-section (2), the following proviso thereto shall be *inserted*, namely—

Amendment of section 8.

"Provided that the payment or deposit of the tax may be made in such other manner, if any, as may be prescribed."

15. In section 13 of the principal Act, in sub-section (2), for the provisos thereto, the following proviso shall be *substituted*, namely—

Amendment of section 13.

"Provided that no appeal under clause (b) or clause (c) shall be entertained by the Appellate Authority, unless fifty per cent of the sum determined or assessed as payable by way of tax has been deposited."

16. Section 15 of the principal Act shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so *re-numbered* the following sub-sections shall be *inserted*, namely:—

Amendment of section 15.

"(2) A stage carriage shall not be plied in any public place in the State in case any tax or penalty payable in respect thereof remains unpaid for more than fifteen days after it has become payable under this Act or the rules or orders made thereunder :

Provided that where an appeal against assessment of tax or levy of penalty is pending, the Appellate Authority may, for reasons to be recorded, exempt a stage carriage from the operation of this sub-section for such period as may be specified by it.

(3) Any stage carriage plied in contravention of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) may be seized and detained by any officer of the Transport Department not below the rank of the Tax Officer for so long as the registration certificate under section 14 or the receipt referred to in this section is not obtained or, as the case may be, the whole of the amount of such tax or penalty or both has not been duly paid."

CHAPTER IV

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MOTOR GADI (MAL KAR) ADHINIYAM, 1964

17. In section 2 of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal Kar) Adhiniyam, 1964, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in clause (k), *between* the expressions "motor vehicle", and "trailer", the expression "route" shall be *inserted*.

Amendment of section 2 of U. P. Act XV of 1964.

18. In section 3 of the principal Act, for Explanation I, the following Explanation shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*, namely—

Amendment of section 3.

"Explanation I—Where goods are carried by a public goods vehicles—

(a) from any place outside the State, to any place outside the State ; or

(b) from any place within the State, to any place outside the State ; or

(c) from any place outside the State to any place within the State ; an amount bearing the same proportion to the total freight payable as the distance within the State bears to the total distance to which goods are carried by such vehicle shall be deemed to be the freight payable for the carriage of goods in the State."

19. In section 18 of the principal Act, in sub-section (2), for the provisos thereto, the following proviso shall be *substituted*, namely—

Amendment of section 18.

"Provided that no appeal under clause (b) shall be entertained by the Appellate Authority unless fifty per cent of the amount assessed as payable by way of tax has been deposited."

20. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, anything done or any action taken (including the levy of tax on goods carried by any public goods vehicle passing through Uttar Pradesh) or anything purporting to have been done or any action purporting to have been taken under or by virtue

Validation.

of section 3 of the principal Act, shall be deemed to be as valid and effective as if the amendments made therein by section 18 of this Act, were in force at all material times, and accordingly—

(a) no suit or other proceeding shall be entertained or continued in any court or before any authority for the refund of any amount referred to in section 3 of the principal Act;

(b) no court shall enforce any decree or order directing the refund of any such amount;

(c) any tax the realisation of which was stayed or restrained by any court before the third day of October, 1975, shall be recoverable in accordance with the provisions of section 3 of the principal Act as amended by section 18 of this Act.

CHAPTER V

AMENDMENT OF THE MOTOR VEHICLES ACT, 1939

Amendment of section 43-A of Act IV of 1939 as inserted by U. P. Act no. 25 of 1972.

21. In section 43-A of the Motor Vehicles Act, 1939, (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:—

“(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), such directions may be given in respect of any of the following matters, namely—

(a) the number of stage carriage or contract carriage permits that may be granted in respect of any route or area;

(b) the preference or the order of preference to be given to or the quota to be fixed for, specially deserving categories such as ex-army personnel, educated unemployed persons, such persons holding driving licences as are members of co-operative societies formed for passenger transport business, persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) the procedure for grant of permits, and for selection from among the applicants, including selection by drawing of lots from among persons belonging to the same category;

(3) Any direction under sub-section (1) may be issued with retrospective effect.

(4) Where any direction is issued under sub-section (1) to any Transport Authority, then any appeal or revision pending before the State Transport Appellate Tribunal shall also be decided in such manner as to give effect to such direction.

(5) Where any direction is issued under sub-section (1) with retrospective effect then—

(a) any Transport Authority or the State Transport Appellate Tribunal may review any order passed earlier by it with a view to making it conform to such direction, and may for that purpose cancel any permit already issued;

(b) any Transport Authority may apply to the High Court for review of any order passed by such Court earlier with a view to enabling such Authority to comply with such direction.

(6) The provisions of this section shall have effect notwithstanding anything contained in sections 47, 50 and 57.”

22. In section 123 of the principal Act—

Amendment of section 123 of Act IV of 1939.

(1) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be used in contravention of the provisions of section 22 or without the permit required by sub-section (1) of section 42 or in contravention of any condition of such permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle

may be used or to the maximum number of passengers and maximum weight of luggage that may be carried on the vehicle shall be punishable for a first offence with fine which may extend to one thousand rupees and except as provided in sub-section (1-A) for any second or subsequent offence with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both :

Provided that no Court shall, except for reasons to be stated in writing, impose a fine of less than five hundred rupees for second or subsequent offence.”;

(2) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :-

“(1-A) Whoever drives or uses, or causes or allows to be driven or used, a motor vehicle which is a contract carriage (other than a motor cab) or a stage carriage without the permit required by sub-section (1) of section 42 or in contravention of any condition of such permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be used, shall for any second or subsequent offence, be punishable with imprisonment which shall not be less than two months or more than six months and shall also be liable to fine which may extend to two thousand rupees :

Provided that the court may, for reasons to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment for a lesser term or fine, which shall not be less than one thousand rupees, in lieu of imprisonment for any such second or subsequent offence.”;

(3) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :-

“(3) Where a person is convicted of an offence under this section, the court by which such person is convicted may in addition to any sentence which may be passed under sub-section (1) or sub-section (1-A) by order—

(a) if the vehicle used in the commission of the offence is a motor car, suspend its certificate of registration for a period not exceeding four months ;

(b) if the vehicle used in the commission of the offence is a transport vehicle, suspend its permit for a period not exceeding six months or cancel it.”;

(4) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :-

“(3-A) Where a person is convicted for any second or subsequent offence under sub-section (1-A), the court by which such person is convicted may, in addition to any sentence which may be passed under sub-section (1-A) or any order which may be made under sub-section (3), order confiscation of the vehicle used in the commission of the offence.

(3-B) Notwithstanding anything contained in section 129-A, the vehicle used in the commission of the offence under sub-section (1-A) shall be seized and detained in custody till the case is finally disposed of by the trial court :

Provided that where the case is not disposed of by such court within two months from the date of seizure of the vehicle, the accused may apply for the release of the vehicle from custody, and the court shall order release of the vehicle on such terms and conditions as to its production before the court, including the appellate court, as it may consider necessary.

(3-C) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government, and no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person, for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of sub-section (3-B).”;

(5) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(4) The court to which an appeal lies from any conviction in respect of an offence of the nature specified in sub-section (1) or sub-section (1-A) may set aside or vary any order of suspension or cancellation made under sub-section (3) or any order of confiscation made under sub-section (3-A) by the court below and the court, to which appeals ordinarily lie from the court below, may set aside or vary any such order of suspension, cancellation or confiscation made by the court below, notwithstanding that no appeal lies against the conviction in connection with which such order was made.”

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Repeal
savings.

and

23. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation and Other Laws (Amendment) Ordinance, 1976 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the enactments referred to in Chapters II, III, IV and V, as principal Acts, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the respective principal Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

गाना से,

कैलाश नथ गोयल,

सचिव ।